

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्र. सं. रीडर/2018/486

दिनांक - 23/10/18

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पदमाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी खेतावास, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।		1. कंवराराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी खेतावास, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर एवं अन्य।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 43/2017

दिनांक- 21/02/18

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा खेमावास पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 531 रकबा 0.11 बीघा खसरा संख्या 853/532 रकबा 25.16 बीघा व खसरा संख्या 857/532 रकबा 34.04 बीघा कुल रकबा 60.11 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम रथापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बावत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



क्रमांक :- रीडर/2018/487-90

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पदमाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी खेतावास, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी कंवराराम पुत्र हनुमानराम वगैराह जाति जाट निवासी खेतावास, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 23/10/18

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर